



राकेश कुमार श्रीवास्तव

19.02.2015

46 (D) (M) (e)  
 23-I-A

20-2-15

§18 लेख्यकारी:- श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्व० बिनोद प्रसाद, जाति- कायस्थ, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा प्रिंस चौक, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 75/2015

रमेश कुमार श्रीवास्तव  
 कानून एडवोकेट  
 सिमडेगा जिला सिमडेगा  
 ता. सिमडेगा  
 दि. 19-2-2015

523  
14

00964/14

223 dt 28.10.14



राकेश कुमार श्रीवास्तव  
रु. नं. ५५, बिल्डिंग, प्रसाद  
दोमदा, पिना सिमडेडा  
प्रिस. कोड  
नेवा.मा.  
8800 = ००

5,000 x 1 = 5,000  
1,000 x 3 = 3,000  
500 x 1 = 500  
100 x 3 = 300

11/11/2014

Total = 8800 = ००

(आठ हजार आठ सौ)



२

राकेश कुमार श्रीवास्तव  
19.02.2015  
20-02-2015

20-02-2015

राकेश कुमार श्रीवास्तव  
पिना सिमडेडा  
नेवा.मा.  
8800 = ००

20/2/15







--2--

॥2॥ लेख्यधारी :- श्री अजित कुमार पिता स्व० धनू लाल, जाति-  
वर्णवाल, पेशा- व्यापार, ग्राम- तारानारी, थाना- चन्द्रपुरा,  
जिला- बोकारो, हाल मोकाम सलडेगा प्रिंस चौक, थाना-  
सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :-

76/2015

॥3॥ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलाभी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य :- मोबलिंग दो लाख बीस हजार रुपये अर्थात् 2,20,000/-  
रुपये होता है ।

॥5॥ सम्पत्ति :- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा, थाना-सिमडेगा,  
थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-सिमडेगा के छाता  
नं० 12 ॥बारह॥ प्लॉट नं० 5083 ॥पाँच हजार तिरासी॥ कुल रकबा  
0.21 एकड़ में से 3.37 डिसिमिल ॥तीन दशमलव तीन सात डिसिमिल॥  
शहर क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाला जमीन व्यवसायिक क्षेत्र  
में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।  
जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता का टांडू,

दक्षिण :- इसी प्लॉट का अंश शीखा सोनी का हाता दुकान,

पूरब :- हाल खरीदगी नीज क्रेता का टांडू,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश दूसरा भाग टांडू ।

मालगजारी 2 पैसा ॥दो पैसा॥ अलावे भूम मलाना ।

रजिस्ट्रार  
कुमार  
19.02.2015

रजिस्ट्रार  
T-की सरखु कसि  
म-कुमार ठाकुरदास  
नवलपिन-सिमडेगा  
5-19.2.2015





--3--

१। चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य फीगर धरैलु कार्य के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना को जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

२। इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत युक्तता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

३। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विकीत वर्णित जमीन को मेरे बड़े पिताजी स्व० गुप्तेश्वर प्रसाद ने पट्टा संख्या 817 दिनांक 13.12.2001 के द्वारा दान पत्र द्वारा मुझे प्राप्त है । फिलहाल मालगुजारी रसीद मेरे खास नाम से कटता है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

रिक्ति सुभाष 19.02.2015





--4--

{4} अब चाहिए कि लेख्यधारो अपनी जमीन पर कांविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारो, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

{5} इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

प्रमथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं कायस्थ जाति का हूँ । सरकार के विशेष सचिव, झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापक 591 दिनांक 1.3.12 पत्रांक 7 / होल्डिंग हस्ता निति 20/2009 दिनांक 19.6.2012 के द्वारा दी गई सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता हूँ ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मज्बूआ के तहत नहीं है ।

रजिस्ट्रार झारखण्ड  
19.02.2015





--5--

मैं लेख्यकारा यह घोषणा करता हूँ कि विक्रोत जमीन वो  
बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

राजेश कुमार शर्मा  
19.02.2015



यह घोषणा इसी तारीख को की जा रही है  
यदि इस पर पंजीयन किया जाये तो  
सत्यमेव जयते  
19-02-2015

राजेश कुमार शर्मा  
19.02.2015





--6--

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Ajitkumar  
19/2/15



इस काफिले सिवा बाजार है कि लेख्यधारी का बाप दादा या  
पिता अग्रजसो का दाप नहीं है।  
अजित कुमार  
19-2-15



रजिस्ट्रार कुशाक अजित कुमार  
19.02.2015





--7--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का  
प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना  
वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

अभिजात उमा  
अभिजात

{प्रारूपकता}

तारीख:- 19.02.2015

रविश कुमार शर्मा लिप  
19.02.2015